राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
भारत सरकार

नई दिल्ली
दिनांक: 19.07.2016

बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम पर बाल आयोग सख्त, दिल्ली सरकार को लिखा पत्र

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली की सड़कों पर बच्चों द्वारा भीख मांगने की घटनाओं तथा बाल श्रम प्रथा को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को उक्त को रोकने के लिए पत्र भेजा है।

आयोग ने कहा है कि बाल भिक्षावृत्ति बच्चों के अधिकारों का हनन है, जहाँ इन बच्चों को अपने सुनहरे भविष्य के लिए स्कूलों में होना चाहिए वहां ये मासूम बच्चे सडकों पर लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। साथ ही यह सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का तत्काल पुनर्वास करते हुए स्कूलों में उनका प्रवेश सुनिश्चित कराए तथा उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दे।

आयोग ने दिल्ली के चौक–चौराहों पर बच्चों के पालकों द्वारा उन्हें स्कूल न भेजकर भिक्षावृत्ति में धकेलने की घटनाओं तथा बच्चों से बाल श्रम करवाने की प्रथा का स्वतः संज्ञान लिया। इस संबंध में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, चाईल्डलाइन, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, दिल्ली पुलिस तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग (दिल्ली सरकार) के अधिकारियों के साथ लगातार दो बैठकें की। इन बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए ऐसे स्थानों की एक सूची तैयार कर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए हैं।

आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार द्वारा बाल भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को समय–समय पर बचाव (रेस्क्यू) करने की आवश्यकता है, साथ ही सरकार एक तीन–स्तरीय कार्य योजना बनाए जिसमें रेस्क्यू से पूर्व, रेस्क्यू के दौरान तथा रेस्क्यू के पश्चात् की स्थितियों तथा इसमें की जाने वाली कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञात हो कि हाल ही में अस्तित्व में आए नए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 एवं 79 के तहत बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम निषेध है तथा इन प्रावधानों में सजा के साथ–साथ आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है। आयोग ने यह भी अपेक्षा की है कि इस अधिनियम के तहत अब से त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने कहा कि बाल कानून का उल्लंघन व बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तथा इस विषय पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी से आयोग को एक माह के भीतर अवगत कराया जाए।

#